न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 51/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवीलाल उम्र 41 वर्ष
2. जानपाल पुत्र श्री देवीलाल उम्र 39 वर्ष कौम जाट निवासीयान खाजूवाला जिला बीकानेर हाल चक 3 क्यू, दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

.......वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्री ठाकरराम जाति जाट निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर हाल चक 3 क्यू, दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगणगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादीगण)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादीगण–1)
पैरोकार राज (प्रति.–2)

दिनांक 03.07.2020

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 देवीलाल, वादीगणगण के पिताजी है। चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है.खाला), 10, 11, 20(प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.227 है.)कुल 1.239 है. {1.214 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादीगणगण के पिताजी/प्रतिवादीगण संख्या 1 देवीलाल पुत्र ठाकरराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगणगण के दादाजी ठाकरराम पुत्र हरलाल के स्वर्गवास होने के बाद नामान्तरण संख्या 313 दिनांक 06/08/2013 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 को विरास्त में प्राप्त हुई है, जिसमें वादीगणगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगणगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 3 क्यू के खाता संख्या 29/28 के जमाबन्दी एवं नामान्तरण संख्या 313 दिनांक 06/08/2013 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादीगण संख्या 1 के दो पुत्र (राजेन्द्र कुमार व जानपाल {वादीगणगण}) है इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगणगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 20 (0.253 है.), 21(0.227 है.) कुल 0.480 है. नहरी कृषि भूमि
जानपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है.खाला), 10(0.253 है.) कुल 0.506 है.{0. 481 है. नहरी + 0.025 है. खाला}
देवीलाल ठाकरराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 11 की 0. 253 है. नहरी

वादीगणगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगणगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगणगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगणगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादीगणगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगणगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगणगण ने, प्रतिवादीगण संख्या 1 को दिनांक 01/06/2020 को, वादीगणगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादीगण संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है । यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगणगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगणगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :—

(क) कि प्रतिवादीगण सं. 1 देवीलाल पुत्र ठाकरराम के नाम दर्ज चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 के खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है.खाला), 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.227 है.) कुल 1.239 है.{1.214 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि घोषित किया जावे।

री (राजस्व)
नगर

Scanned by CamScanner

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादीगणगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगणगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक .06.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा गौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 देवीलाल पुत्र ठाकरराम के नाम दर्ज विरास्तन कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारानुसार किया है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 20 (0.253 है.), 21(0.227 है.) कुल 0.480 है. नहरी कृषि भूमि
जानपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है.खाला), 10(0.253 है.) कुल 0.506 है.{0.481 है. नहरी + 0.025 है. खाला}
देवीलाल ठाकरराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 11 की 0.253 है. नहरी

अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादीगण सं. 1 देवीलाल पुत्र ठाकरराम के नाम दर्ज चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है.खाला), 10, 11, 20 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.227 है.) कुल 1.239 है.{1.214 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन घोषित किया जाकर चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 20 (0.253 है.), 21(0.227 है.) कुल 0.480 है. नहरी कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल की घोषित की जावे एवं चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 10(0.253 है.) कुल 0.506 है.{0.481 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादीगण संख्या 2 जानपाल पुत्र देवीलाल की घोषित कर उक्त अनुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो

कारी (राजस्व) ानगर

Scanned by CamScanner

पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से जवाब तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादीगण द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 3 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 29/28 पेश की। वादीगण द्वारा अपने दादा गिरधारी लाल के नाम जमाबंदी ग्राम 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 28 पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

पक्षकारान मध्य पारिवारिक सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 20 (0.253 है.), 21(0.227 है.) कुल 0.480 है. नहरी कृषि भूमि
जानपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है.खाला), 10(0.253 है.) कुल 0.506 है.{0.481 है. नहरी + 0.025 है. खाला}

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03.07.2020 को जारी किया गया।

(उमेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner